

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 12.10.2020

थाना डिबाई पुलिस द्वारा दिनांक 13.08.2020 को नीम नदी के पास झाड़ियों में मिले एक अज्ञात महिला के शव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2020 को शाम समय करीब 18.00 बजे थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत नीम नदी, छुईयापुल के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। इस घटना के संबंध में वादी धर्मदास ग्राम चौकीदार ग्राम कादरीबाग की तहरीर के आधार पर थाना डिबाई पर मु0अ0सं0-316/20 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के सफल अनावरण एवं अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई दिलीप कुमार सिंह को निर्देशित किया गया था। घटना की गहनता से छानबीन/जांच करने में उक्त अज्ञात शव की पहचान श्रीमती माना देवी उर्फ मानवती पुत्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम मुरादपुर थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई जिसकी उसके भाई उमेश सिंह द्वारा दिनांक 27.08.2020 को थाना अहमदगढ़ पर गुमशुदगी 14/20 दर्ज कराई गयी थी तथा उक्त हत्या की घटना कारित करने में अभियुक्त इरशाद पुत्र तौफीक निवासी ग्राम मुरादपुर थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 12.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई श्री दिलीप कुमार सिंह मय फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इरशाद को दौलतपुर खुर्द से समय करीब प्रातः 05.50 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- इरशाद पुत्र तौफीक निवासी ग्राम मुरादपुर थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

हत्या का कारण-

मृतका माना देवी उर्फ मानवती करीब ढाई वर्ष से अभियुक्त इरशाद के खेत पर काम करती थी। दोनों के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो गये थे। माना देवी उर्फ मानवती अभियुक्त इरशाद के साथ ही रहना चाहती थी जिसका वह करीब 06 माह से दबाव बना रही थी परन्तु अभियुक्त इरशाद शादीशुदा होने के कारण माना देवी उर्फ मानवती को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। करीब 05 माह पूर्व अभियुक्त इरशाद माना देवी उर्फ मानवती को 26 हजार रुपये देकर अलग-अलग हो गये थे परन्तु कुछ समय बाद ही माना देवी उर्फ मानवती द्वारा फिर से अभियुक्त इरशाद पर साथ रहने का दबाव बनाये जाने लगा। इसी बात को लेकर अभियुक्त इरशाद ने माना देवी उर्फ मानवती को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। योजनानुसार दिनांक 12.08.2020 को शाम को अभियुक्त इरशाद माना देवी उर्फ मानवती को मोटरसाइकल पर घूमने के बहाने थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत नीम नदी/छोईया पुल के पास ले आया और नीचे खाली पड़ी जगह में जमीन के पास सीमेंट के बड़े पाईप की आड़ में मोटर साइकिल खड़ी कर दी और वहीं पर दोनों बैठकर बातें करने लगे। समय करीब रात्रि 12 से 01 बजे के मध्य अभियुक्त इरशाद द्वारा माना देवी उर्फ मानवती का उसी के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपा दिया था तथा दिनांक 16.08.2020 को बेलगाम कर्नाटक चला गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री दिलीप कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई।
- 2- का0 सोनू सिंह, का0 इखलाक, हो0गार्ड धर्मवीर सिंहा।